न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 167 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. कवंरी बाई पत्नि विरदसिंह 2. विरदसिंह पुत्र जगे सिंह जातिगण रावत निवासीगण रोडावास तहसील सोजत जिला पाली।		1. हरिसिंह पुत्र सुरतसिंह जाति रावत राजपुत निवासी रोडावास तह0 सोजत जिला पाली। 2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री देवेन्द्र व्यास, श्री कैलाश दवे अधिवक्तागण प्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 02/06/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम रोडावास पटवार हल्का गुड़ा कलां, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 843 रकबा 0.1500 है0, खसरा नंबर 843/1 रकबा 1.0000 है0 कृषि भूमि में से आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 842 रकबा 0.4200 है0 में पहुंचने का प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' में वर्णित अ, ब, स, द रास्ता ख.नं. 843, 843/1 में से दर्शित हैं। प्रार्थीगण के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थीया नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ—पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो सरहद मौजा रोड़ावास के खसरा नंबर 843, 843/1 कृषि भूमि में से उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में दर्शित के अनुसार दिलाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। बावजूद सूचना/तामिली बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/रीडर/2024/1238 दिनांक 29.08.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 गुड़ा कलां, द्वारा तैयार फर्द मौका

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि सरहद मौजा रोडावास के ख0नं0 842 वादी कंवर बाई व विरदसिंह की खातेदारी भूमि हैं। प्रस्तावित रास्ते का एबीसी से दर्शाया गया हैं। सीडी मौके पर रास्ता चालू हैं, लेकिन राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं हैं। मार्क डी से आगे ख0नं0 757 किस्म गै0मु0 सेरिया सरकारी खाते में दर्ज हैं। प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 185 मीटर × 4 मीटर = 0.0740 है0 हैं। ख0नं0 843, 843/1 रकबा 1.1500 है0 में से 0.0740 है0 भूमि रास्ता दिया जाना प्रस्तावित हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 227000/– रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (227000/– रू0 × 2 × 0.0740 है0 = 33596/– रूपये बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 843, 843/1 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत गुड़ा कलां की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गंया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम रोडावास के खसरा नम्बर 842 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 843, 843/1 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 गुड़ा कलां, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि के उत्तरी दिशा में ख0नं0 844 किस्म गै0मु0 वाला तथा दक्षिण में ख0नं0 929 किस्म गै0मु0 गौचर होने से आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जवकि निकटतम मार्ग खसरा नंम्बर 843, 843/1 में से ख0नं0 929 की उत्तरी मांठ के सहारे होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम रोडावास पटवार हल्का गुड़ा कलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ा कलां तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 843 रकबा 0.1500 है0, खसरा नंबर 843/1 रकबा 1.0000 है0 कृषि भूमि में से आवागमन हेतु रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 842 रकबा 0.4200 है0 में पंहुचने हेतु सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि में से (227000/– रू0 × 2 × 0.0740 है0 = 33596/– रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

क0सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डीएलसी की दौगुना)
01.	843 गै0मु0	0.1500 है0	राज. सरकार	25 मी0× 4 मी0 = 0.0100 है0	4540 /–रू
02.	843/1 बा0अ0	1.0000 है0	हरिसिंह पुत्र सुरतसिंह हिस्सा–पूर्ण जाति रावत राजपुत सा. देह खातेदार	160 मी0× 4 मी0 = 0.0640 है0	29056 /–रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगाराम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 02/06/2025 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगाराम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)